राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4)विभाग

प 2 (11)/शिक्षा-4/2003

जयपुर, दिनांक- 13.6.03

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय- यूनिवर्सल महाविद्यालय,महूवा (दौसा) के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

सदर्भ- निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.4( ) लेखा/निकाशि/2002/1125 दिनांक 30.4.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशषा के आधार पर यूनिवर्सल महाविद्यालय,महूवा (दौसा) के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें स्नातक स्तर पर कला संकाय में 1. राजनीतिशास्त्र 2. अर्थशास्त्र 3. इतिहास 4. भूगोल 5. लोक प्रशासन 6. दर्शनशास्त्र 7. समाजशास्त्र 8. कम्प्यूटर 9. गृहविज्ञान 10. चित्रकला 11. संगीत 12. हिन्दी 13. अंग्रेजी 14. संस्कृत तथा विज्ञान संकाय में 1. भौतिकशास्त्र 2. रसायनशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र 5. गणित 6. बॉयोटेक अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेते सत्र 2003-04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है :-

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने के बाद ही छात्रों... को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी.अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन. ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदो पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष /फर्नीचर/प्रयोगशालायें/पुस्तकालय /खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 5.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा/5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ठ सहायक , मा0 राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर ,दौसा ।
6. सचिव, सामाजिक अनुसंधान विकास समिति,जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा

Scanned with OKEN Scanner